उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाहियों

की

संहित अनुक्रमणिका

—:o:—

खण्ड १०१ से १८१

—:o:—

द्वितीय भाग

—:o:—

प—म

—:o:—

(सोमवार, १९ मई, १९५२ से बुधवार, २७ मार्च, १९५७ तक)

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।
१९५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा
की
कार्यवाहियों
की
अनुक्रमणिका

खंड १०१--१८१

प्रश्न० वि० -- हावड़ा-जलालपुर राज्य को -- -- रखने की आवश्यकता । खं० १८०, पृ० ६५८-६५६ ।

पत्थरी करने--

प्र० वि० -- आज़मगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में ... की ... आवश्यकता । खं० १०८, पृ० ६१ ।

प्र० वि० -- गोरी-... का ... विचार । ... १२७, पृ० ४८० ।

पत्थरी म... --

प्र० वि०--... ... की ... । खं० १२०, पृ० ११२ ।

पत्थरी सड़कें--

प्र० वि०--गोरखपुर जिले ... पर पक्की ... बनाने की आवश्यकता । खं० ११०, पृ० १३१ ।

प्र० वि०--गोरखपुर जिले की पक्की सड़कें ... । खं० १०७, पृ० ...

पट्टा [illegible]—

प्र० वि०—[illegible] ——— [illegible] पृ० [illegible]।

प्र० वि०—[illegible] ——— [illegible]

प्र० वि०—[illegible] ——— [illegible] खं० १६८, पृ० [illegible]।

पटवारी—

प्र० वि०—[illegible] ——— [illegible] खं० १६८, पृ० ८८।

प्र० वि०—कुमायूं के———[illegible] गांवों में [illegible] भत्ते आदि में [illegible] परिवर्तन। खं० १६२, पृ० [illegible]।

पटवारी पुनर्नियोजन—

प्र० वि०———— की मांगों पर पुनर्विचार। खं० १२४, पृ० ७ ८।

प्र० वि०—कुमाऊं———की मांगें। खं० ११६, पृ० ८-६।

पटवारी के कागजों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले में——— में खेतों का गलत अभिलेख होने के कारण तीन आदमियों का कत्ल। खं० १०६, पृ० ६१-६२।

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले में——— के कागजों में हरिजन। खं० १५६, पृ० १४।

पट्टा—

प्र० वि०—देवरिया जिले में———की उपज। खं० १६६, पृ० ६-१०।

पट्टा [illegible]—

[illegible] ———[illegible] प्रार्थना-पत्र [illegible]। खं० १०८, पृ० ६।

[illegible]—

प्र० वि०—————— [illegible] पृ० [illegible]।

[illegible]—

प्र० वि०—[illegible] जिले में [illegible] ——— [illegible] बनवाने तथा [illegible] में व्यय। खं० १७३, पृ० ८५-८६।

पट्टे [illegible] के मामलों—

प्र० वि०—[illegible], तहसील [illegible] ——— [illegible] का [illegible]। खं० ११०, पृ० १२२-१२६।

पट्टे—

प्र० वि०—[illegible] जिले में [illegible] भूमि के मुआविजे में किसानों को नये ———। खं० १६१, पृ० १०६।

प्र० वि०—ग्राम चरखुन्डा, जिला [illegible] की [illegible] तालाबों, गड्ढों तथा खलिहानों के———का [illegible] प्रार्थना-पत्र। खं० १६५, पृ० २१।

प्र० वि०—बस्ती जिले में [illegible] तहसील के तालाबों तथा कुओं पर भूमि के ———। खं० १५४, पृ० ३६६।

पट्टेदारी—

[illegible] ठेकेदारी तथा——— विनाश विधेयक, १९५३। खं० १२७, पृ० ३६। खं० १३७, पृ० २१।

पट्टेदारों—

प्र० वि०—जिला गोंडा में कालिन्जर ग्रांट भूमि के———का जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र। खं० १३०, पृ० ४१३।

४

[पुलिस]

प्रश्नोत्तर

प्लाउड—

प्र० वि०—— [illegible] निर्मित [illegible] तथा [illegible] रैम——। खं० १३८, पृ० ४१७–४१८

प्लाण्ट प्रोटेक्शन स्क्वाड—

प्र० वि०—— ——के कार्य। खं० १०६, पृ० ४६०–४६१

ले आफ—

प्र० वि०—माडर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिला मेरठ के श्रमिकों को ——का वेतन दिलाने की प्रशंसा। खं० १७१ पृ० ४४८।

प्लेग—

प्र० वि०—जिला जौनपुर की शाहगंज तहसील में——का प्रकोप। खं० १६६, पृ० १८०–१८१।

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——का प्रकोप। खं० ११५, पृ० २८८।

प्र० वि०—जौनपुर जिले में ——की रोकथाम। खं० १३०, पृ० १७६।

फ

फंड—

प्र० वि०—गया प्रसाद लाइफ सेविंग——की मैनेजिंग कमेटी। खं० १५५, पृ० ६९–७०।

फजलुल हक, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३। खं० १२८, पृ० १७५–१७६, १८६, २०६।

फाजिलनगर थाने—

प्र० वि०—— ——तथा ककरही घाट पर पुलों के निर्माण का आयोजन। खं० १६३, पृ० १०९–११०।

फटन-

प्र० वि०—अहरौरा बांध के——की दुर्घटना। खं० १२४, पृ० १०६–१०७।

फतेहपुर-गाजीपुर सड़कें—

प्र० वि०—— ——फतेहपुर की——तथा ——सड़कों के सुधार की व्यवस्था। खं० १३८, पृ० ८९

फतेहसिंह राणा, श्री—

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५०। खं० १६३

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज कन्टिन्युएन्स [illegible] (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५५। खं० १६४ पृ० १३३–१३५।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर विधेयक, १९५६। खं० १७२, पृ० १३७।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद। खं० १५८ पृ० २६३–२६३।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४। खं० १६१, पृ० ३०६, ३०९, ३१०।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी विधेयक, १९५३। खं० १२३, पृ० ३०८।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५। खं० १६३, पृ० १९०–१९२।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद। खं० १०३, पृ० १७०–१७३।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि—अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत। खं० १०३, पृ० ३२८, ३५२–३५३।

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्ष, ४२—सहकारिता। खं० १०५क पृ० १३४–१३५।

[ब.अनन्दन, श्री—]

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के आय-व्ययक में अनुदानो के लिये मांगो पर मतदान—अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २६—पुलिस। खं० १०५, पृ० १०४–१०७।

अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग तथा ३७—शिक्षा, अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियो का सुधार और उत्थान तथा अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग। खं० १०४, पृ० ३०३।

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानो के लिये मांगो पर मतदान अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८— चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १२०, पृ० ५९५।

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण-कार्यो पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा। खं० १२१, पृ० १४७।

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य। खं० १२०, पृ० २८५।

१९५४–५५ के अनुपूरक अनुदानो पर मतदान—अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा तथा अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियो का सुधार और उत्थान। खं० १४१, पृ० ३६०–३६१।

१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान अनुदान संख्या १४—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन—गांव सभायें और पंचायतें। खं० १३१, पृ० ३८–३९। अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य। खं० १३१, पृ० ४४५–४४६।

१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान—अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी। खं० १५०, पृ० २०८–२०९।

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५९—समाज कल्याण। खं० १५०, पृ० ३५२।

१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी, अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि की संक्रमित धनराशि। खं० १६६, पृ० २३४–२३५।

अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९–ब—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य—(स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) तथा अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई और स्थापना पर व्यय। खं० १६६, पृ० २६९–२६७।

अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण कार्यो पर लागत, अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता, अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा तथा अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यो का पूंजी लेखा। खं० १६८, पृ० २८९–२९०।

[illegible] वेतने—

[illegible] १९६३–६४ [illegible] आय-व्ययक में अनुदानों [illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] के लिये [illegible] [illegible] [illegible] लेखा शीर्षक [illegible] मकानों का भुगतान। [illegible] पृ० १९८–२०३।

१९६३–६४ के विभिन्न विभाग अनुपूरक अनुदानों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५———। सं० १५८ पृ० ६१२।

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५— ——तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान। सं० १५१, पृ० ४२६–४२७।

बुद्ध कालेज—

प्र० वि०—कुशीनगर, जिला देवरिया के——को वार्षिक अनुदान। सं० १२६, पृ० ४६४–४६५।

बुद्ध जयन्ती—

प्र० वि०— ——के अवसर पर कुशीनगर अस्पताल को बृहद् रूप देना। सं० १७२, पृ० ५००–५०१।

प्र० वि०— ——के अवसर पर कुशीनगर के मेले का आय-व्यय। सं० १८०, पृ० १३३।

प्र० वि०—श्रावस्ती नगर, जिला गोंडा में——के अवसर पर बिजली लगाने की मांग। सं० १६८, पृ० २५९।

बुद्ध [illegible]—

प्र० वि०—[illegible] में——के [illegible] [illegible]

बुनकर—

प्र० वि०—[illegible] जिले में [illegible] —— [illegible]।

बुनकरों—

प्र० वि०—[illegible] जिले में——की [illegible] [illegible]

[illegible] ——के [illegible] पृ० [illegible]

प्र० वि०— ——के बुनकरों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता। सं० १३३ पृ० २४८–२४९।

प्र० वि०—[illegible] में——को करघा उद्योग की उन्नति में सुविधायें। सं० ११० पृ० २३६–२३७।

प्र० वि०—जिला आजमगढ़ के——की सहायता। सं० ११७, पृ० २२८–२२९।

प्र० वि०—जौनपुर जिले में ——की सहायता के लिये कार्य। सं० १६४, पृ० १६९–१७०।

प्र० वि०—झांसी जिले में—— को सहायता। सं० १३४, पृ० २६९।

प्र० वि०—टांडा, जिला फैजाबाद के ——का पाकिस्तान जाना। सं० १३०, पृ० २३३–२३४।

प्र० वि०—बस्ती जिले में——की संख्या। सं० १३२, पृ० २२८–२२९।

प्र० वि०—बस्ती जिले में——को सहायता। सं० १२२, पृ० २५३।

प्र० वि०—बेकार मजदूरों तथा ——के लिये कारोबार का प्रबन्ध। सं० १२८, पृ० ३२१।

भ

भाग २ समाप्त

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८९ एल० ए०—१९५८—४५०